न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 37/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/76

1. तहसीलदार राजस्व बहैसियत भू–धारक प्रतिनिधि राजस्थान सरकार –प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र करनैल सिंह जाति अहीर साकिन 32 जीवी श्रीविजयनगर –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. राजपैरोकार
2. श्री ओम धायल, अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25/8/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र 177 सपठित धारा 63() राज. काश्त.अधि. का पेश किया जा चुका है। अप्रार्थी के नाम से रोही चक 32 जीवी जमाबंदी संवत् 2076 में प.नं. 178/424, 180/423 में कुल 5.035है. भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। 0.747है. भूमि पर आवासी कॉलोनी काटकर गैर कृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। जो कि भूमि को नुकसान पंहुचाने की परिभाषा में आता है, इससे भूमि नाकाबिल काश्त हो गई है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 177 राज.काश्त.अधि. की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा खातेदारी अधिकार की शर्तों का भी उल्लघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति कृषि भूमि की प्रकृति का परिवर्तन किया है। जिससे राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण को जिस उद्देश्य के लिए कृषि भूमि दी गई थी उसके विपरीत अवैध रूप से निर्माण किया जाकर अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी राज्य सरकार के पक्ष में है। अप्रार्थी को कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने का कोई हक नहीं है। पटवारी हल्का 28 जीबी ए रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त रकबा पर आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त रकबा कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में रूपान्तरण नहीं करवाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है। अवैध निर्माण व अकृषि कार्य कर रहे है। इसलिए अप्रार्थीगण के रकबा पर रिसीवर नियुक्त करवाकर कब्जा बहक रिसीवर दिया जावे। जो कि कानूनी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मौका व रिकार्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाने और वाद के निर्णय तक रकबा पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि चक 32 जीवी के प.नं. 178/4.. कि. 3,4,5/1 कुल 0.747हे. को किसी भी प्रकार गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही है और ना ही भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है भूमि पर किसी प्रकार को कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और न ही कोई आवासीय कॉलोनी काटी गई है। प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर पेश होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थी भूमि रिसीवर करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है यदि रकबा को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:13 IST
Reason: SelfAttested

क्षति होगी जिसका मूल्यांकन राशि में नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। राजपैरोकार अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है जिनके द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि में अवैध रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण किया जा रहा है, जिससे खातेदारी अधिकारों की शर्तों का उल्लघन अप्रार्थी द्वारा किया गया है। विवादित भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति तारफैसला मूल वाद बनाए रखने के साथ ही विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करते हुए कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा खातेदारी शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। ना ही भूमि पर कोई अवैध निर्माण किया है न ही आवासीय कॉलोनी काटी है। आधारहीन तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कृषि भूमि पर बिना अनुमति अकृषि कार्य करने के आधार पर धारा 177 राज. काश्त. अधि. के वाद के साथ हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्ति के अनुतोष के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य, अवैध निर्माण नहीं करने अथवा कॉलानी नहीं काटे जाने का कथन किया गया है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौका पर वादग्रस्त कृषि भूमि में मौका पर कि.नं. 3,4,5/1 में मकान व सडके बनी हुई पायी गयी जिससे प्रथम दृष्टया ही वादग्रस्त कृषि भूमि को कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थी के इस कृत्य से काश्तकारी/खातेदारी शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि विवादित भूमि पर निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित नहीं की जाती है तो भूमि के अन्यत्र अन्तरण/हस्तान्तरण हो जाने से प्रभावित पक्षकारों की संख्या एवं विधिक उलझने बढ़ने की सम्भावना है। लोकहित में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण से स्पष्टतयः राज्य हित प्रभावित है। परन्तु प्रकरण में विवादित भूमि रिसीवर किये जाने हेतु युक्तियुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रार्थी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि चक चक 32 जीबी प.नं. 178/424 मु.नं. 13 कि.नं. 3,4,5/1 कुल 0.747हे. भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर, उप पंजीयक श्रीविजयनगर, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक .... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर